राजस्थान सरकार
निदेशालय चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, राजस्थान, जयपुर

क्रमांकः लेखा/बैठक/2017/ 4259 दिनांकः 27/11/17 (1)

लेखाधिकारी/सहायक लेखाधिकारियों की मासिक बैठक दिनांक 20.11.2017 का कार्यवाही विवरण

निदेशालय, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं, राजस्थान, जयपुर के अधीनस्थ कार्यालयों संयुक्त निदेशक जोन, मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी तथा प्रमुख चिकित्सा अधिकारी, जिला/उप जिला/सैटेलाइट अस्पतालों में पदस्थापित लेखाधिकारियों/सहायक लेखाधिकारियों/लेखाकारों/लेखाकर्मियों की मासिक बैठक दिनांक 20.11.2017 को वित्तीय सलाहकार (जन0स्वा0) की अध्यक्षता में निदेशालय सभागार में आयोजित की गयी। बैठक में निम्नांकित बिन्दुओं पर विचार-विमर्श पश्चात् निम्न निर्णय लिये गयेः-

क्र. सं.	बिन्दु जिस पर चर्चा हुई	निर्णय लिया गया	अनुपालना जिसके द्वारा की जानी है
1.	मसिक आय-व्यय विवरण	संबंधित सहायक लेखाधिकारी माह अक्टूबर, 2017 तक के समस्त आय एवं व्यय मदों के मासिक विवरण दिनांक 28.11.2017 तक निदेशालय में आवश्यक रूप से भिजवायें तथा आय व्यय मानचित्रों में टी.वी. नं0 आवश्यक रूप से अंकित हो सुनिश्चित किया जावें। जिन कार्यालयों ने आय मदों के विवरण अभी तक प्रस्तुत नहीं किये गये है, वे भी दिनांक 28.11.2017 तक भिजवावें।	समस्त संयुक्त निदेशक-जोन/समस्त मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी/समस्त प्रमुख चिकित्सा अधिकारी एवं समस्त बीसीएमओं
2.	राज्य निधि मदों में बजट प्रस्ताव	राज्य निधि मदों के बजट प्रस्ताव सभी कार्यालयों द्वारा प्रस्तुत किये जा चुके है, यदि प्रस्तुत किये गये प्रस्तावों से किन्हीं लेखा मदों में अत्यधिक कमी या अधिक राशि के संशोधन अपेक्षित हो तो संशोधित प्रस्ताव मय कारणों के दिनांक 3011.2017 तक व्यक्तिशः उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित करें।	-: उपरोक्तानुसार :-
3.	7 वें वेतन आयोग में वेतन स्थिरिकरण	7 वें वेतन आयोग की सिफारिशों के अन्तर्गत राज्य सरकार द्वारा जारी आदेश/दिशा निर्देशानुरूप अधिकारियों/कर्मचारियों के वेतन स्थिरिकरण प्रकरणों का समय पर निस्तारण किया जाना सुनिश्चित करावें।	-: उपरोक्तानुसार :-
4	राज्य निधि/राज्यनिधि प्रतिबद्ध बजट मद	चालू वित्तीय वर्ष में प्लान एवं नॉन प्लान बजट मदो को समाप्त कर राज्य निधिं एवं राज्य निधि प्रतिबद्ध मदों में परिवर्तित कर दिया है। प्रस्तुत की जाने वाले बजट मांग प्रस्तावों में राज्य निधि एवं राज्य निधि प्रतिबद्ध अंकित कराया जाना सुनिश्चित किया जावें।	-: उपरोक्तानुसार :-
5.	BSBY की राशि जमा कराने बाबत्	संयुक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी, राजस्थान स्टेट हैल्थ एश्योरेंस द्वारा पत्रांक एफ. 1008(52)/एनएचएम/स्वास्थ्य बीमा योजना/2016-17/680 दिनांक 08.06.2017 द्वारा भामाशाह स्वास्थ्य बीमा योजना के अन्तर्गत राजकीय चिकित्सालयों को बीमा कम्पनी से वर्ष 2016-17 (01.04.2016 से) एवं आगामी अवधि के लिये प्राप्त सकल राशि में से जिला अस्पताल एवं मेडिकल कॉलेजो से संबंध अस्पतालों को आदेश में अंकित प्रतिशत राशि वित्तीय वर्ष की समाप्ति के उपरान्त एक माह में आवश्यक रूप से राजकोष में जमा कराने के निर्देश दिये गये है। उक्त आदेशों के अनुसार संबंधित जिला अस्पताल अतिशीघ्र राशि राजकोष में जमा कराना सुनिश्चित करें एवं आदेश में अनुमत कार्यो पर ही व्यय किया जावें। राजकोष में जमा करायी गयी राशि की सूचना दिनांक 28.11.2017 तक आवश्यक रूप से उपलब्ध करावें।	समस्त जिला अस्पताल/समस्त प्रमुख चिकित्सा अधिकारी
6.	अवमानना प्रकरणों के भुगतान बाबत्।	बहुउदेशीय कार्यकर्ताओं (MPW) के अवमानना प्रकरणों में अपेक्षित भुगतान की कार्यवाही सर्वोच्च प्राथमिकता के आधार पर की जावें। अवशेष अपेक्षित भुगतान की अतिशीघ्र कार्यवाही कर सूचना निदेशालय को भिजवाया जाना सुनिश्चित करें। जिन बहुउदेशीय कार्यकर्ताओं के अवमानना प्रकरणों में भुगतान किया गया है, के नाम एवं भुगतान की गयी राशि की सूचना वित्तीय सलाहकार की मेल आईडी पर प्रेषित करावें।	समस्त संयुक्त निदेशक-जोन/समस्त मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी/समस्त प्रमुख चिकित्सा अधिकारी एवं समस्त बीसीएमओं
7.	आरएमआरएस में उपलब्ध शेष	निदेशालय के पत्रांक 134 दिनांक 22.05.2017 के अनुसार समस्त सामान्य चिकित्सालय (पीएमओ) में दिनांक 01.04.2017 को अवशेष राशि की स्थिति निर्धारित प्रपत्र में दिनांक 28.11.2017 तक भिजवाया जाना सुनिश्चित करें।	-: उपरोक्तानुसार :-
8.	महालेखाकार निरीक्षण प्रतिवेदनों की बकाया अनुपालना एवं प्रथम अनुपालना	राज्य स्तरीय ऑडिट कमेटी की आगामी बैठक अतिशीघ्र होने की संभावना है। अतः दिनांक 28.11.2017 तक समस्त बकाया एवं प्रथम अनुपालना महालेखाकार को भिजवाया जाना सुनिश्चित करें।	-: उपरोक्तानुसार :-
9.	नकारा वाहनों एवं अनुपयोगी सामान के निस्तारण बाबत्	कार्यालयों के नकारा/सरप्लस/अनुपयोग सामान का निस्तारण/पुराने रिकॉर्ड का नष्टीकरण एवं अवधिपार भषज एवं औषधियों की जिन कार्यालयों में निस्तारण कार्यवाही शेष हो वे निस्तारण की कार्यवाही हेतु कार्य योजना तैयार करा निस्तारण की कार्यवाही पूर्ण करावें एवं प्रगति से आगामी बैठक में अवगत करावें। अवशेष अनुपयोग सामग्री एवं नकारा वाहनों के निस्तारण की सूचना अतिशीघ्र संकलित कर भिजवाया जाना सुनिश्चित करावें।	-: उपरोक्तानुसार :-
10.	चोरी/गबन के मामलों में अपलेखन	चोरी/गबन के प्रकरणों के संबंध में केसवार नवीनतम सूचनाएं एवं न्यायालय में विचाराधीन चोरी/गबन प्रकरणों में वसूली के विरूद्व न्यायालय से स्टे नहीं है उन प्रकरणों में वसूली की कार्यवाही की सूचनाएं निर्धारित प्रपत्र में अविलम्ब प्रेषित करायें। भविष्य में वसूली की कार्यवाही करते हुए निदेशालय को सूचना भिजवाया जाना सुनिश्चित करावें। जिन प्रकरणों में न्यायालय द्वारा एफ.आर. लगा दी गयी है। राशि वसूली कर ली गयी है तो भी अपेक्षित विभागीय जांच पूर्ण कराकर ही प्रकरण प्रेषित करावें।	-: उपरोक्तानुसार :-
11.	निरीक्षण विभाग के बकाया विशेष जांच प्रतिवेदन	निदेशक, निरीक्षण विभाग के विशेष जांच प्रतिवेदनों के बकाया आक्षेपों में दोषी कर्मचारियों के विरूद्व आवश्यक कार्यवाही नहीं करने, वसूली योग्य राशि की वसूली नहीं किये जाने को राज्य सरकार द्वारा गम्भीरता से लिया जाकर उत्तरदायी अधिकारियों के विरूद्व कार्यवही हेतु निर्देशित किया है। अतः विशेष जांच प्रतिवेदनों की प्रथम अनुपालनाएं तथा नवीनतम स्थिति की बकाया अनुपालनाएं बैठक में आवश्यक रूप से साथ लावें। अवशेष समस्त प्रथम/बकाया आक्षेपों की अपुपालना भिजवाने हेतु निर्देशित किया गया।	-: उपरोक्तानुसार :-

12.	निरीक्षण विभाग के बकाया भौतिक सत्यापन प्रतिवेदन	राज्य स्तरीय ऑडिट कमेटी की बैठक दिनांक 29.09.2017 एवं निरीक्षण विभाग द्वारा उक्त मीटिंग में लिये गये निर्णय की पालना हेतु निदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग को लिखा गया कि भौतिक सत्यापन प्रतिवेदनों की प्रथम अनुपालना अधीनस्थ कार्यालयों के द्वारा नहीं की जा रही है। यह एक गंभीर एवं खेदजनक स्थिति प्रदर्शित करती है। अतः मीटिंग में उपस्थित लेखा कर्मियों को बकाया अपने एवं अधीनस्थ कार्यालयों की भण्डार भौतिक सत्यापन प्रतिवेदनों की अनुपालना निरीक्षण विभाग को भिजवाते हुए अनुपालना की प्रति निदेशालय में भिजवाने हेतु निर्देशित किया गया है।	-: उपरोक्तानुसार :-
13.	आन्तरिक जांच प्रतिवेदनों के बकाया आक्षेपों की अनुपालना	राज्य स्तरीय ऑडिट कमेटी की बैठक दिनांक 29.09.2017 में आन्तरिक प्रतिवेदनों की प्रथम अनुपालना अधीनस्थ कार्यालयों के द्वारा नहीं भिजवाने को गम्भीरता से लिया गया है। अतः समस्त कार्यालय आन्तरिक निरीक्षण प्रतिवदेनों की प्रथम/बकाया अनुपालना भिजवाया जाना संबंध में विशेष अनुपालना अभियान चलाया जा रहा हैं। अतः समस्त कार्यालय आन्तरिक निरीक्षण प्रतिवेदनों की वर्ष 1985 से पूर्व बकाया अनुपालना भिजवाया जाना सुनिश्चित करें एवं मीटिंग में उपस्थित लेखाकर्मी अपने एवं अधीनस्थ कार्यालयों के प्रतिवेदनों की बकाया अनुपालना निदेशालय को भिजवाना सुनिश्चित करें। मीटिंग में आन्तरिक जांच दलों को दलों भी जांच के दौरान वर्ष 1985 के बकाया आक्षेपों की सूचना एवं अनुपालनाएं प्राथमिकता के आधार पर उपलब्ध कराने हेतु निर्देशित किया गया।	-: उपरोक्तानुसार :-
14.	बकाया ओ.बी. आईटम्स की पालना भिजवाने बाबत्	लम्बित ओ.बी. आईटम्स का निस्तारण रूप से करवाते हुए जोन स्तर पर सूचना समेकित कर निदेशालय भिजवायें। निदेशालय द्वारा स्मरण-पत्र-II वित्त विभाग के निर्देशानुसार ओ.बी. आईटम्स का निस्तारण 15 दिवस के भीतर करवाया जाना सुनिश्चित करवाते हुए रिपोर्ट करें।	-: उपरोक्तानुसार :-
15.	प्रपत्र 1 से 8 तक की सूचेनाएं	प्रपत्र 1 से 8 तक की बकाया सूचना जोन स्तर पर समेकित कर प्रति माह वित्तीय सलाहकार की मेल पर डालना सुनिश्चित करें तथा बकाया पेंशन प्रकरणों का निस्तारण नियमानुसार निर्धारित समय पर कराना सभी कार्यालयाध्यक्ष सुनिश्चित करें। पेंशन नियमों के नियम 80 तथा अन्य के तहत पेंशन की कार्यवाही के लिए पत्रादि पूर्ण करने आदि की कार्यवाही 2 वर्ष पूर्व तथा 6 माह पूर्व पेंशन विभाग को स्वीकृति हेतु भेजा जाना सुनिश्चित करावें तथा सहायक लेखाधिकारी/लेखाकर्मी कार्यालयाध्यक्षों को इस कार्य में पूर्ण सहयोग प्रदान करें। जिन कार्यालयों में लेखाकर्मी पदस्थापित नहीं है, वहां संबंधित कार्मिक उक्त सूचना उपलब्ध करवाना सुनिश्चित करावे।	-: उपरोक्तानुसार :-

विविध :-

IFMS की साईट पर आवंटित बजट नियमित रूप से प्रतिदिन देखें तथा अतिरिक्त मांग IFMS देखकर ही करें। इसके अतिरिक्त विभाग की वेबसाईट raj.swasthya/nrhm पर विभागीय पत्र/परिपत्र समय-समय पर अपलोड किये जाते है अतः विभागीय वेबसाईट को नियमित रूप से देखा जाकर, जारी किये जाने वालें पत्रों/परिपत्रों की पालना किया जाना सुनिश्चित किया जावे।

बैठक में वित्तीय सलाहकार (जन स्वा0) ने सभी लेखा कार्मिकों से अपेक्षा की है कि वे लेखा नियमों की पूर्ण जानकारी रखें, बजट की मांग में विशेष ध्यान रखा जावें कि वेतन भुगतान समय पर किया जाना सुनिश्चित रहें। बैठक में दिये गये उक्त निर्देशों की पालना सुनिश्चित की जावें। बैठक में लेखाकर्मियों की अनुपस्थिति को गंभीरता से लिया गया।

आगामी मासिक बैठक दिनांक 15.01.2018 को निदेशालय में आयोजित होगी।

बैठक का वित्तीय सलाहकार (जन स्वा0) ने धन्यवाद ज्ञापित कर समापन किया।

वित्तीय सलाहकार,
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें,
राजस्थान, जयपुर
दिनांक :

क्रमांक : लेखा/बैठक/2014/

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. निजी सचिव, मिशन निदेशक, एन.आर.एच.एम., जयपुर।
2. निजी सचिव, प्रबन्ध निदेशक, राजस्थान मेडिकल सर्विसेज कॉर्पोरेशन, जयपुर।
3. निजी सचिव, निदेशक (जन स्वा0) मुख्यालय।
4. अति0 निदेशक (राजपत्रित/अराजपत्रित) मुख्यालय।
5. समस्त संयुक्त निदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, जोन
6. समस्त मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी।
7. समस्त प्रमुख चिकित्सा अधिकारी, राजकीय चिकित्सालय/मुख्य सार्वजनिक विश्लेषक, सैठी कॉलोनी, जयपुर।
8. निजी सहायक, निदेशक (जन स्वा0)/परिवार कल्याण, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं, राज0 जयपुर।
9. निजी सहायक, वित्तीय सलाहकार, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं, राज0 जयपुर।
10. निजी सहायक, निदेशक (वित्त), राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन/मुख्य लेखाधिकारी, परिवार कल्याण/ मु0।
11. उप वित्तीय सलाहकार(बजट/निरीक्षण)/लेखाधिकारी मुख्यालय।
12. भण्डार अधिकारी, मुख्यालय (मुख्यालय स्थित वाहनएवं भण्डार सामग्री के निस्तारण बाबत)
13. समस्त लेखाधिकारी/सहायक लेखाधिकारी, कार्यालय संयुक्त निदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं, जोन।
14. समस्त सहायक लेखाधिकारी, कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी।
15. समस्त सहायक लेखाधिकारी/लेखाकार, कार्यालय प्रमुख चिकित्सा अधिकारी, राजकीय चिकित्सालय।
16. लेखाधिकारी/स0ले0अ0 (बजट/आन्तरिक अंकेक्षण/महालेखाकार अंकेक्षण/भण्डार क्रयण संगठन) मु.जयपुर।
17. प्रभारी सर्वर, रूम (मु.) कृपया इस आदेश को विभाग की वेबसाइट पर अपलोड करवाने का श्रम करें।
18. रक्षित पत्रावली।

लेखाधिकारी,
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें,
राजस्थान, जयपुर